जीएसटी भुगतान में देरी पर अब देना होगा ब्याज

कैबिनेट फैसला

लखनऊ | प्रमुख संवाददाता

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के भुगतान में देरी होने पर अब शुद्ध देनदारी के आधार पर ब्याज देना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में चतुर्थ संशोधन के लिए अध्यादेश 2021 के प्रारूप को मंजूरी दे दी है।

जीएसटी भुगतान में देरी पर देनदारी को लेकर विवाद था। केंद्र सरकार ने शुद्ध देनदारी पर ब्याज लगाने और इसे 1 जुलाई 2017 से लागू करने का फैसला किया था। यूपी में भी इस व्यवस्था को लागू करने के लिए अध्यादेश में व्यवस्था की गई है। राज्यपाल से मंजूरी के बाद इसे लागू किया जाएगा। माल से लदे वाहन को रोकने व जब्ती प्रक्रिया को अलग कर दिया गया है। अन्य फैसले पेज 10

प्रारूप को मंजूरी

- शुद्ध देनदारी को लेकर कारोबारियों से चल रहा था विवाद
- केंद्र सरकार के फैसले की तर्ज पर यूपी में भी लागू होगी व्यवस्था